

(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम, जयपुर।

लोकेश कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी

किस्म मुकदमा:- अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार नम्बर: 2023/421

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.23	<p>श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री मंगतूराम निवासी उदयपुर गिलारिया तहसील सांगानेर जयपुर से प्राप्त प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर के विरुद्ध हस्तगत अपील कार्यालय हाजा को भिजवाई गई है जबकि उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कार्यालय हाजा को नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी को सूचित करते हुए प्राप्त अपील अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें तथा कार्यालय हाजा की पत्रावली फ़ैसल-शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p>	<p>(अन्तरसिंह नेहरी) संभागीय आयुक्त, जयपुर।</p> <p>26/9/23</p>